न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

परिवाद संख्या 71 सन 2024

अंकित निर्मल बनाम हरेश चौधरी व अन्य

02.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज वास्ते आदेश नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी पर दिनांक–2705.2026 को सुना जा चुका है।

मैंने पत्रावली का विधिवत् परिशीलन किया।

परिवादी का परिवाद पत्र में संक्षिप्त कथन है कि वह जाति से जाटव है तथा उसकी दिव्या एवं भव्या लीवर इण्डिया प्रा०लि० नाम से फर्म है। माह अगस्त, 2020 में व्यापार हेतु सोडा–एस माल की आवश्यकता होने पर उसने इंटरनेट के माध्यम से ARJ ENTERPRISE के मालिक हरेश भाई चौधरी, पता ए–1/61, होपटाउन, विसनगर रोड, जिला महेसाणा–384001 (गुजरात) से सम्पर्क किया। विपक्षी के कहने पर उसने भुगतान की सिक्योरिटी हेतु अपनी फर्म का कोरा चैक सं0–124843 दिनॉक–18.08.2020 को भेज दिया। इसके उपरान्त विपक्षी द्वारा 371 कट्टे, कुल वजन 18,550 किलो माल, 18 प्रतिशत टैक्स सहित धनराशि 4,59,669/–रूपये का माल दिनॉक–01.09.2020 को भेजा गया, जो दिनॉक–04.09.2020 को प्राप्त हुआ। माल विक्रय करने पर ज्ञात हुआ कि 371 कट्टों में से केवल 50 कट्टे सही सोडा थे तथा शेष माल में नमक मिलावट किया हुआ था। इस सम्बन्ध में उसके द्वारा कई बार विपक्षी से माल बदलने का तगादा किया गया, किन्तु वह समय लेता रहा और सही माल भेजने का आश्वासन देता रहा। दिनांक–27.07.2024 की शाम समय करीब 6:30 बजे विपक्षी हरेश चौधरी अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ अवैध हथियार रायफल व पिस्टल लेकर परिवादी के घर में जबरन घुस आया तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए पूरे माल का भुगतान मांगने लगा। विरोध करने पर विपक्षी व उसके साथियों ने उसको जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए लात–घूसों व हथियारों की बट्ट से मारपीट की तथा जान से मारने की नियत से पिस्टल लोड कर फायर करने का प्रयास किया। शोर सुनकर दीपक सक्सेना, पुलकित गुप्ता, उसकी पत्नी करुणा तथा अन्य लोग आ गये, जिन्होंने बीच–बचाव कर उसको बचाया। जाते समय विपक्षी पूरे माल का भुगतान न करने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गये। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर तथा दिनॉक–13.08.2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को प्रार्थना पत्र दिया गया, किन्तु कोई कार्यवाही न होने पर उसके द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद पत्र के समर्थन में अन्तर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस. स्वयं अंकित निर्मल व अन्तर्गत धारा–225 बी.एन.एस.एस. पी.डब्लू.–01 पुलिकत गुप्ता व पी.डब्लू.–02 दीपक सक्सेना को परीक्षित कराया गया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को प्रेषित आवेदन दिनांकित 13.08.2024 मय रजिस्ट्री रसीद, छायाप्रति चेक संख्या–124843 दिनॉक–18.08.2020, छायाप्रति ई.मेल, छायाप्रति टैक्स इनवाईस, छायाप्रति आधार कार्ड, छायाप्रति जाति प्रमाण–पत्र दाखिल किया गया है।

बयान अन्तर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस. में परिवादी अंकित निर्मल द्वारा कथन किया है कि वह जाटव जाति का है। उसकी दिव्या एवं भव्या लीवर प्रा0लि0 नाम की फर्म है। वह डिटरजेन्ट पाउडर का निर्माण करता है, जिसके लिए उसे सोड़ा की आवश्यकता थी। उसने ARJ फर्म के मालिक हरेश चौधरी से इण्टरनेट के माध्यम से सम्पर्क किया। इन्होंने बताया कि वह सोड़ा का सप्लायर है। उसने इनसे टाटा कम्पनी के सोड़ा की मॉग की तो इन्होंने कहा कि मिल जायेगा। इसका जवाब इन्होंने उसे मेल के माध्यम से दिया था। ARJ फर्म महेसाणा गुजरात में है। उसकी फर्म बुलन्दशहर सिटी में ही है। उससे इन्होंने सिक्योरिटी के रूप में ब्लैंक चैक लिया। चैक इन्हें प्राप्त हो गया। इन्होंने कहा कि उसके पास टाटा कम्पनी का सोड़ा नहीं है, बल्कि ईरान की कम्पनी का सोड़ा है। कहा कि बहुत अच्छा सोड़ा है, लेकर देखिए, यदि पसन्द न आये

Digitally signed by OMPRAKASH VERMA
Date: 2026.06.02 15:59:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तो वह वापस ले लेगा। इन्होंने उसे 371 बैग सोड़ा भेजा, जबकि उसकी डिमाण्ड केवल 100 बैग की थी। उसमें से 50 बैंग तो ठीक थे। बाकी के सभी बैंग में नमक था, जब उसने उन मालो को सप्लाई किया तो उसकी शिकायत उसे आयी। फिर उसने हरेश चौधरी से कहा कि आप का माल खराब है। आप अपना माल वापस ले लीजिए। फोन पर ये आश्वासन देते रहे, लेकिन माल वापस नहीं लिया, जबकि वह पचावें–छठें दिन लगातार शिकायत करता रहा। उसके बाद दूसरा लॉकडाउन लग गया। उसे नया माल नहीं दिया, न हीं माल वापस किया। उससे पैसे की मॉग करने लगे। इसके बाद ऐसे फोन पर बात चलती रही। 27.07.2024 को हरेश चौधरी व तीन अन्य लोग आये। उसके साथ मारपीट की, गाली दी व जान से मारने की धमकी दी। उसे चमार बोला, कहा कि चमार उसके पैसे दे, तुम जूतो के नीचे ही ठीक हो, तुम व्यापारी कैसे बन सकते हो। उसने शोर मचाया तो दीपक सक्सेना व पुलकित ने उसे बचाया। तीनो अज्ञात का नाम वह नहीं जानता है, सामने आने पर पहचान सकता है। वह हरेश चौधरी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है। हरेश चौशरी ने अपनी जाति जाट उसे बताया था। हरेश चौधरी ने उसकी जाति शुरू में पूछी थी। 04.09.2020 को माल उसे प्राप्त हुआ था। थाने 13.08.2024 को गया था और कही नहीं गया। थाने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। 13.08.2024 के पूर्व उसने कोई प्रार्थना–पत्र नहीं दिया था।

बयान अन्तर्गत धारा–225 बी.एन.एस.एस. में पी.डब्लू.–01 पुलकित द्वारा कथन किया गया है कि वह व उसके दोस्त अंकित निर्मल व दीपक सक्सेना दिनांक–27.07.2024 को अंकित के घर करीब शाम को 06:00 बजे गये थे। उसी समय वहॉ पर 06:30 बजे करीब 04 लोग आये थे, जिन्हें वह नहीं जानता। उनके हाथों में अवैध हथियार राईफल, पिस्टल मौजूद थे। वह, दीपक व निर्मल अंकित के घर के कमरे में बैठे थे। वे चारो लोग अंकित निर्मल के घर के गेट पर गाली गलौज करने लगे। अंकित निर्मल गाली गलौज सुनकर बाहर आया। उनमें से अंकित निर्मल ने पूछा हरेश चौधरी क्यो गाली दे रहे हो। हरेश चौधरी माल का पैसा मांग रहा था। अंकित ने कहा आपने जो माल दिया था, उसमें पचास कट्टे सोड़ा के सही थे, बाकी माल खराब था। वह पचास कट्टे माल, जो सही था, देने को तैयार है। अंकित ने कहा यदि आपको विश्वास नहीं है तो उसके माल गोदाम में जाकर देख लो। हरेश ने कहा हमें पैसे चाहिए, अभी चाहिए। हरेश ने जाति सूचक शब्द डेढ़ चमार तुम हमारे पैसे नहीं देगा तो तुझे जान से मार दूंगा। अंकित निर्मल व हरेश व उसके साथियों में हाथपाई हुई, जिसमें अंकित निर्मल को चोटे आयी थी। अंकित निर्मल की पत्नी करूणा ने शोर मचाया तो सारे मोहल्ले के लोग इक्ट्ठा हो गये। वहॉ से धमकी देते हुए भाग गये। अंकित ने हमारे द्वारा हिम्मत दिये जाने पर अंकित ने थाना कोतवाली नगर में प्रार्थना–पत्र दिया था।

बयान अन्तर्गत धारा–225 बी.एन.एस.एस. में पी.डब्लू.–02 दीपक सक्सेना द्वारा कथन किया गया है कि घटना दिनांक–27.07.2024 की शाम 06:00 बजे वह और दोस्त पुलकित गुप्ता अंकित के घर मिलने आये थे। हम आपस में बात ही कर रहे थे, तभी हमने लोगों के गाली गलौज की आवाज सुनी तो जो लोग गाली गलौज कर रहे थे वे सीधा अंकित के घर में घुस आये। हमने बाहर निकलकर देखा तो उनके हाथ में पिस्टल और दूसरे हथियार थे। वे अंकित को जाति सूचक शब्द बोलने लगे। उनमें से एक आदमी हरेश नाम का था, जो गुजरात महसाणा का रहने वाला था, वह अंकित से कहने लगा कि उसके पैसे उसे अभी दे, नहीं तो तुझे अभी मार देते है और कहने लगे कि यदि तू पैसे नहीं देगा तो तुझे जान से मार देंगे और गन्दी–गन्दी गालियॉ व जाति सूचक शब्द चमार आदि कहने लगे। अंकित बोला आप उसके गोदाम चलकर देखो आपने जो माल भेजा था, वह 50 कट्टे सही है, बाकी सारे खराब है, तब हरेश बोलने लगा कि तुने कट्टे बदल दिये होगे। हमारा माल सही था। हमारे पैसे अभी दे, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। अंकित ने आगे कहा कि वह खराब माल के पैसे क्यो दे? अपना खराब माल वापस लेकर जाओ, तभी हरेश ने गुस्से में आकर अंकित के ऊपर पिस्टल की बट से मारने लगा, तब हमने झगड़े को देखकर बीच बचाव किया और शोर मचाया तो अंकित की पत्नी करूणा और आस पड़ोसी मौके पर आ गये। लोग

इक्ट्ठा होता देख ये लोग धमकी देते हुए और गाली गलौज व जाति सूचक शब्द व पैसे मांगकर मौके से भाग गये। हमने जान का खतरा देखते हुए कोतवाली में भी प्रार्थना–पत्र दे दिया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Pepsi foods Ltd. and Another vs. Special Judicial magistrate and others. (1998) 5 SCC 749** के वाद में यह अवधारित किया गया है कि–Criminal procedure code 1973-S.204-Summoing of accues-Order must show that Magistrate applied his mind to the fact of case and law applicable thereto-He should carefully scrutinise the evidence broght on record and may himself Put questions to complinant and his witnesses to find out allegations.

इस प्रकार परिवाद–पत्र तथा परिवादी द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान में यह कथन किया गया है कि परिवादी ने इंटरनेट के माध्यम से विपक्षी हरेश चौधरी से सम्पर्क किया व व्यापार हेतु सोड़ा–एस माल का सौदा किया। परिवादी को दिनांक–04.09.2020 को हरेश चौधरी से माल प्राप्त हुआ। उसी समय परिवादी को कथित माल में मिलावट की जानकारी हो गयी थी, इसके बावजूद भी परिवादी द्वारा चार वर्ष तक उक्त मिलावट की धोखाधड़ी की कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गयी, जिससे स्पष्ट है कि परिवादी एवं विपक्षी हरेश चौधरी के मध्य वर्ष–2020 में सोड़ा–एस माल की खरीद–फरोख्त का व्यापारिक लेन–देन हुआ था तथा पक्षकारों के मध्य मूल विवाद माल की गुणवत्ता एवं भुगतान को लेकर है। परिवादी ने स्वयं यह तथ्य स्वीकार किया है कि विपक्षी माल का मूल्य मांग रहा था तथा वह खराब माल होने के कारण भुगतान से इंकार कर रहा था। जहॉ तक विपक्षीगण द्वारा परिवादी को जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज कर अपमानित करने का प्रश्न है? परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण पी.डब्लू.–01 पुलकित गुप्ता व पी.डब्लू.–02 दीपक सक्सेना परिवादी के मित्र है। कथित जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने एवं मारपीट की घटना का कोई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है, जबकि घटना घनी आबादी वाले क्षेत्र में घटित होना बताया गया है। कथित मारपीट के सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई भी चिकित्सीय आख्या उपलब्ध नहीं है।

परिवाद पत्र के समर्थन में परीक्षित साक्षियों के बयानो से यह स्पष्ट है कि आवेदक अंकित निर्मल तथा विपक्षी हरेश चौधरी के मध्य व्यापारिक विवाद है। परिवादी द्वारा पैसो के लेन–देन के विवाद में विपक्षी पर दबाव बनाने के उद्देश्य से व्यापारिक संव्यावहार के विवाद को आपराधिक विवाद का रंग देने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार परिवाद पत्र के समर्थन में परीक्षित साक्षियों के बयान से विपक्षी को किसी अपराध में विचारण हेतु आहूत किये जाने का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। अतः परिवाद अन्तर्गत धारा–226 बी.एन.एस.एस. निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी अंकित निर्मल की ओर से प्रस्तुत परिवाद संख्या–71 सन् 2024 अंकित निर्मल बनाम हरेश चौधीर आदि अन्तर्गत धारा–226 बी.एन.एस.एस. निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनाक 02.06.2026

(ओम प्रकाश वर्मा–III)
विशेष न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट बुलन्दशहर।
आई.डी. यू पी 06142

स्टेनो बोबी कुमार